शोध मंथन Vol. XIV No.IV Oct.-Dec. 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:shodhmanthan.anubooks.com*

कौटिल्य के प्रशासनिक विचार वर्तमान प्रशासन की आधारशिला के रूप में

प्राप्तिः 20.12.2023
स्वीकृतः 25.12.2023

88

डॉ० रेखा
पी०एच०डी०
ईमेलः *agmbsnlretd@gmailcom*

डॉ० किरन
पी०एच०डी०

सारांश

कौटिल्य राजनीति में उस दीपक के समान हैं जो आज भी अपने विचारों के माध्यम से सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहा हैं क्योंकि कौटिल्य एक ऐसे विचारक हैं जो अपने विचारों से आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुये हैं भारतीय राजनीति में कौटिल्य के सर्वश्रेष्ठ होने का सबसे मुख्य कारण कौटिल्य की यर्थाथवादिता है, क्योंकि कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त सैद्धान्तिक होने के साथ–साथ व्यावहारिक भी है। आज भी हम प्रशासनिक व्यवस्था के साथ–साथ अनेक क्षेत्रों में कौटिल्य के विचारों को एक आधारशिला के रूप में स्वीकार कर सकते हैं क्योकि प्रत्येक विचार किसी न किसी रूप मे हम कहीं न ही कही अवश्य प्रयोग कर रहे हैं। भारत में ही नही अपितु सम्पूर्ण विश्व कौटिल्य के विचारो से एक कुशल राजनीति के पथ पर चलने मे समर्थ है यहाँ पर हम यही विवेचन करेंगे कि कौटिल्य के कौन–कौन से विचार आज भी हमारी राजनीति में महत्वपूर्ण बने हुये हैं।

मुख्य बिंदु

प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था, कौटिल्य के द्वारा वर्णित व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था के साथ तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में उपयोगिता।

वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप प्राचीन व्यवस्था के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। परिस्थितिकीय परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रशासकीय संरचना में परिवर्तन अवश्य हुआ है लेकिन वर्तमान प्रशासन का आधारस्तम्भ प्राचीन प्रशासन ही रहा है। प्राचीन भारत में जिस प्रशासनिक शवास्था को कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वहा व्यवस्था आज भी हमारे प्रशासन को प्रकाशित कर रही है। कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त के आधार पर न केवल मौर्य शासन ही स्वर्णिम रहा वरन् वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में भी कौटिल्य के विचारों के आधार पर एक आदर्श व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है।

कौटिल्य के द्वारा अपने सम्पूर्ण दर्शन में आदर्श राज्य के लिये व्यवस्था करते हुये एक प्रशासनिक व्यवस्था का 'निर्माण किया गया। कौटिल्य के द्वारा अपने राजतन्त्रात्मक शासन में

प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप ही विवेचन किया गया। कौटिल्य ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य संचालक राजा को बनाया था और राजा को सम्प्रभुता की समस्त शक्ति प्रदान करतें हुये राज–पद ज्येष्ठता तथा योग्यता के आधार पर निर्मित किया था। राजा को शिक्षा कठोर दिनचर्चा की व्यवस्था में नियन्त्रित करते हुये जनहित के कार्यों के लिये प्रेरित किया गया था। राजा को अनेक कार्यों के लिये प्रेरित किया गया था। राजा को अनेक कार्यो का दायित्व प्रदान करते हुये कार्यपालिका के प्रधान कें रूप में अनेक कर्मचारियो की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया। समाज में शांति तथा आय–व्यय से सम्बन्धित प्रबन्ध करने, युद्ध की घोषणा, संधि सम्बन्धी कार्य करने का दायित्व प्रदान किया गया था। व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्यों मे आदेश जारी करने कानून निर्माण का कार्य करने का कार्य भी राजा के द्वारा ही किया जाता था। न्यायपालिका सम्बन्धी कार्यों में राजा न्यायपालिका के प्रधान के रूप में कार्य करता था। राजा के द्वारा ही अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का संचालन किया जाता हो यद्यपि वर्तमान मे राजतन्त्र के स्थान पर प्रजातन्त्र ने शासन का रूप ग्रहण कार लिया है। भारतीय संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की व्यवस्था की जाती है। यद्यपि राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसके मन्त्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा को केन्द्र बिंदु स्वीकार करते हुये भी मन्त्रियों की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया। प्रशासन की जटिल समस्याओं के समाधान के लिये राजा को मन्त्रियों से विचार विमर्श करना आवश्यक होता है। मन्त्रियों के विषय में कौटिल्य का विचार है कि मन्दी ही राजा को अनर्थकारी कार्यो से रोकते हैं। वर्तमान समय में भी हम मन्त्रियो के महत्व को अस्वीकार नही कर सकते क्योंकि आधुनिक समय में प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल के माध्यम ही समस्त व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अतः वर्तमान प्रधानमन्त्री कौटिल्य के राजा के विषय में ज्येष्ठता तथा योग्यता को प्रमुखता प्रदान करता है, लेकिन वर्तमान मे ज्येष्ठता के सिद्धान्त का पालन तो किया जाता है। लेकिन योग्यता के दर्शन दुर्लभ होते जा रहे हैं क्योंकि वर्तमान में अधिकांश प्रधानमंत्री अपनी योग्यता के आधार पर नही वरन् लोकप्रियता के आधार पर पद ग्रहण करते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौटिल्य के राजा के समान ही व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्यो को पूर्ण करता है। वैदशिक सम्बन्धों मे भी प्रधानमन्त्री के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। कोटिल्य का राजा भी वैदेशिक सम्बन्धो का संचालन सफलतापूर्वक सम्पन्न करता था।

मन्त्रियो के महत्व को कौटिल्य ने अत्यधिक आवश्यक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है कौटिल्य योग्य मन्त्रियो के विषय में मत व्यक्त करता है कि योग्य मन्त्रियों के अभाव में राजा कर्त्तव्य तथा अकर्त्तव्यों का निर्णय नही कर सकता है इसीलिये वह अनेक प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से तथा गुप्तचरो के द्वारा मन्त्रियो के चरित्र तथा ईमानदारी को परखने का कार्य करता है यद्यपि आज मन्त्रियारूप और ईमानदारी का कोई औचित्य नहीं रह गया. है। आज भ्रष्ट व्यक्ति मन्त्रियों के रूप में विद्यमान है वह भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करके ईमानदारी से दूर होते जा रहे हैं। कौटिल्य के द्वारा जिस प्रकार की परीक्षाओं की व्यवस्था मन्त्रियों के चरित्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिये की गयी हैं वह यदि आज भी हम प्रयोग करे तो निश्चित रूप से हम वर्तमान में भी योग्य निष्ठावान ईमानदार मन्त्री प्राप्त कर सकते हैं। कौटिल्य ने मन्त्रियो

की संख्या को भी सीमित करने का जो विचार दिया है भी अनुकरण के योग्य है क्योंकि मन्त्रियो की लिये संख्या अधिक होने पर भी यदि योग्यता नहीं है तो वह मन्त्री पद के लिये उपयुक्त नहीं है लेकिन आज के समय मे मन्त्रियो की संख्या असीमित है। इसलिये कौटिल्य का यह विचार पूर्ण रूप से प्रसिगिंक है।

मन्त्रियों के लिये गोपनीयता का होना भी अत्यन्त आवश्यक होता है क्योकि मन्त्रियों के साथ हुई मन्त्रणा की कार्यवाही गुप्त ही होनी चाहिये। मन्त्र का भेद खुल जाने से योजना आरम्भ होने से पूर्व ही समाप्त हो सकती है। कौटिल्य की गोपनीयता सम्बन्धी विशेषता. वर्तमान की व्यवस्था मे एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में रवीकार की जाती है। कौटिल्य के द्वारा जिस गोपनीयता का संदेश आज से वर्षों पूर्व दिया गया वह आज की संसदात्मक व्यवस्था की आवश्यक विशेषता बन चुकी हैं। कौटिल्य ने वर्षो पूर्व ही राजतन्त्र मे प्रजातन्त्र के बीज बोने प्रारम्भ कर दिये थे जो आज हमारे समक्ष वृक्षों के रूप मे फलित हो रहे हैं। एक अन्य क्षेत्र में भी हम कौटिल्य के सुझाव का पालन कर रहे हैं। कौटिल्य का विचार है कि राजा को तीन या चार मन्त्रियों से परामर्श करना चाहिये क्योंकि एक या दो मन्त्री राजा पर अपने विचारों के जाल को इस प्रकार बिछा सकते हैं कि वह पक्षपातपूर्ण निर्णय ले सकता है वर्तमान में हम कौटिल्य के इस विचार की झलक अंतरंग मन्निमण्डल में पाते हैं कौटिल्य के द्वारा अपनी मन्त्रीपरिषद तथा बैठको मे बहुमत के साथ कार्यसिद्धि के आधार पर भी निर्णय लिये जाते हैं लेकिन आज हम कार्यसिद्धि के विषय पर किसी प्रकार का ध्यान केन्द्रित नहीं करते हैं। कौटिल्य के द्वारा जिस प्रकार से कार्यसिद्धि को महत्व प्रदान किया गया उससे यह स्पश्ट होता है कि उनकी व्यवस्था न केवलः आज से श्रेष्ठ थी वरन् आज भी यदि हम कार्यसिद्धि को महत्ह देते हैं तो निश्चित रूप से यह अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

कौटिल्य के द्वारा प्रशासन को कल्याणकारी बनाने के लिये अनेक पदो की व्यवस्था की गयी थी। जिसमें से अनेक पद ऐसे हैं जो आज भी हमारी प्रशासंमिक के लिऐ उपयोगी हैं। राजतन्त्र और प्रजातन्त्र की व्यवस्थाओं मे परिवर्तन अवश्य हो चुका हैं लेकिन हमारे प्रशासन में इनकी प्रासंगिकता आज भी किसी रूप में कम नहीं हो सकी है यह हमारे प्रशासन के लिये आज भी सहायक के रूप में उपस्थित हैं। इन पदो में जहां हम **''समाहर्त्ता''** के रूप में जिलाधीश को पा रहे हैं वही **सन्निहाता** के रूप में वित्त सचित हमारे प्रशासक मे विद्यमान है। कौटिल्य ने **प्रदेष्टा** की नियुक्ति जिस रूप में की थी वही रूप आज हमारे कमिश्नर का होता है वर्तमान में हम थानेदार के रूप में **''दण्डपाल''** को स्वीकार करते हैं वनो की सुरक्षा लिये भी हमारा प्रशासन सचेत रहता है। और इसीलिये हम वन सेवा अधिकारी की व्यवस्था करते हैं। कौटिल्य की व्यवस्था मे यह वन सेवा अधिकारी **''आटविक''** के रूप मे होता है। खाद्य का पूर्ण प्रबन्ध करना भी प्रशासन का कर्तव्य होता है और इसकी व्यवस्था करते हुए कौटिल्य ने ''कोश्ठागाराध्यक्ष'' की नियक्ति की थी उसी प्रकार हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में भी खाद्य का प्रबन्ध खाद्य आपूर्ति निदेशक के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में हम जिस **''मेयर''** का पद जिले में पाते हैं उसकी व्यवसाि भी कौटिल्य के द्वारा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में **''नागरिक''** के रूप में बहुत पहले ही कर दी गयी थी। प्रशासन की सबसे निम्न ईकाई ग्राम में जिस भूमिका का निर्वाह कौटिल्य के **''गोप''** नामक अधिकारी के माध्यम से किया जाता था वही पद आज की प्रशासनिक व्यवस्था में **''संरपंच''** के रूप में सुशोभित

कर रहा है। कृषि की उन्नति के लिये वर्तमान में भी हभारे प्रशासन के द्वारा मे कृषि निदेशक की स्थापना की जाती है तथा राज्य मे मुद्रा की व्यवस्था के लिये हम रिजर्व बैंक के गवर्नर को स्वीकार करते हैं। वास्तव में कौटिल्य के द्वारा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के अनुकूल पदो का सृजन करना जो पूर्ण रूप से आज भी उसी रूप मे व्यवहारिक है और कौटिल्यों को दूरदर्शिता के परिचायक हैं क्योकि पद जिस प्रकार से वर्तमान मे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में सफल संचालन के लिये कार्यरत है वह पद कौटिल्य के प्रशासनिक पदों की सार्थकता को प्रमाणित करते हैं।

कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिये प्रशासनिक शक्तियों का हस्तान्तरण पदसोपानीय आधार उच्च से निम्न पद तक किया है। जिसमें प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य जनता के लिये लोककल्याणकारी व्यवस्था करना होता था। वर्तमान प्रशासन की संरचना में भी पदसोपनीय पद्धति को ही अपनाया गया है। वित्त किसी भी व्यवास्था का प्राण होता है राज्य में जनता के लिये कल्याण की समस्त आवश्यताऐं उसी समय पूर्ण हो सकती हैं जब राज्य मे वित्त की व्यवस्था सुदृढ़ हो। वित्त के लिए समुचित व्यवस्था करते हुये कौटिल्य ने समाहर्त्ता को नियुक्त किया। आय वृद्धि के उपाय करते हुए समाहर्त्ता जनपद के लिये विकास कार्यो को पूर्ण करता था जिसमे गोप तथा स्थानिक नामक अधिकारी सहायता प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त शुल्क की उचित व्यवस्था शुल्काध्यक्ष के द्वारा पूर्ण करते हुए अनेक अधिकारियों जैसे **''पौतावाध्यक्ष'' ''मानाध्यक्ष'', ''सूत्राध्यक्ष'', ''देवताध्यक्ष'', ''पण्याध्यक्ष'', ''कुप्याध्यक्ष** आदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। कौटिल्य के द्वारा बताये गये यह पद आज भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में पूर्ण रुप से किी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। **''समाहर्त्ता''** के रूप में हम आज **''जिलाधीश''** के स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में जिलें मे आय व्यय का समुचित प्रबन्ध भू–राजस्व, लगान आदि को प्राप्त करने का कार्य जिलाधीश' के द्वारा ही किया जाता है। उसके कार्यों में सहायता के लिये **''तहसीलदार'' कानूनगो पटवारी** होते हैं। जिले से सम्बन्धित समस्त कार्य आज जिलाधीश ही पूर्ण करता है जिले के विकास में आज भी अनेक अधिकारी जैसे जिला विकास अधिकारी, जिला परिषद में मुख्य अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, पशुपालन अधिकारी, शिक्षा अधिकारी तथा उद्यौग अधिकारी होते हैं।

कौरिल्प के द्वारा उपभोक्ता की सुरक्षा की भी पूर्ण व्यवस्था की गयी थी। व्यावसायिक वर्ग से प्रजा की रक्षा की जो व्यवस्था कौटिल्य के द्वारा की गयी वही कार्य आज भी हमारी प्रशासनिक व्यवण्या का केन्द्र बना हुआ है। नापतौल की उचित व्यवस्था, के लिये कौटिल्य ने पौतबाध्यस की नियुक्ति की थी जो नाप तौल के नियमो का निर्धारण करता था और नाप तौल में किसी भी प्रकार की भ्रष्टता होने पर प्रजा की शिकायतो का निवारण करता था। आज भी व्यवसायिक वर्ग कार्य के विषय मे उत्पादन की गुणवत्ता के विषय में, मूल्य निर्धारण के विषय, नाप तौल के विषय में यदि किसी भी प्रकार से प्रजा का शोशण करता है, तो सरकार इसके लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की व्यवस्था करती है। वर्तमान में इसके लिये अनेक कानूनों की व्यवस्था करके अनेक मंचो की व्यवस्था करके जनता की शिकायतो को दूर किया जाता है।

कौटिल्य के द्वारा राज्य में मदिरा का उचित प्रबंध के लिये सुराध्यक्ष की नियुक्ति भी गयी थी जिसका कार्य राज्य में मदिरा के उत्पादन वितरण करना था। सुरा अर्थात मदिरा के विषय कौटिल्य का विचार था कि राजय में इस पर पर्याप्त होना चाहिये। तथा मदिरापान करके व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाना चाहिये क्योकि इससे प्रजा को कष्ट पहुंचता है तथा प्रजा पर प्रभाव भी गलत पड़ता है कौटिल्य का यह विचार हमारे आज के समाज के लिये अनुकरणीय है क्योकि आज मदिरापान में लिप्त व्यक्ति न केवल सार्वजनिक स्थान पर अंशाति उत्पन्न करते हैं वरन् कभी–कभी स्वंय का भी अहित करते हैं। इसीलिये आज के समाज में यह विचार पूर्णरूप से पालन करने के योग्य है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में आबकारी निदेशक के रूप में सुराध्यक्ष विद्यमान हैं लेकिन जिस व्यवस्था का परिचय कौटिल्य ने प्रस्तुत किया है वह वास्तव में आज भी हमारे समाज को आदर्श बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

राज्य में मुद्रा की व्यवस्था का भी प्रबंध करना कौटिल्य भूले नहीं थे। मुद्रा के सम्बध में कौटिल्य ने बनावटी मुद्रा के प्रयोग पर दण्ड की व्यवस्था की। क्योंकि जनता के द्वारा मात्र राजकीय मुद्रा का ही प्रयोग किया जा सकता था। यदि कोई राजकीय मुद्रा से अलग मुद्रा का प्रयोग करता था तो इसका अर्थ होता था कि वह व्यक्ति या चोर है या शत्रु का गुप्तचर है इसीलिये इस व्यवस्था के माध्यम से शत्रुओ से रक्षा की जाती थी साथ ही जिस व्यक्ति के पास पहचान का प्रमाण नहीं होता था वह शंका का पात्र माना जाता था। कौटिल्य की यह व्यवस्था आज से अनेक वर्षो पूर्व की थी लेकिन आज भी हमारे लिये पूर्णरूप से मार्गदर्शन का केन्द्र है। वर्तमान में भी राज्य के द्वारा मुद्रा की जाती है और यदि किसी विदेशी के पास भी पहचान पत्र या पासपोर्ट नही होता है तो वह आज भी शत्रु या गुप्तचर का पात्र माना जाता है वास्तव मे इस व्यवस्था के माध्यम से कौटिल्य ने शत्रुओ तथा चोरो के विषय में हयारा मार्गदर्शन किया है तथा संकट से रक्षा का मार्ग दिखाया है।

कौटिल्य न केवल प्रसासनिक पदो के लिये उचित व्यवस्था करना चाहते थे वरन् उनका लक्ष्य यह भी था कि मात्र योग्य कर्मठ इमानदार सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही इन पदो को सुशोभित करें इसीलिये कौटिल्य ने अपने सम्पूर्ण दर्शन में योग्यता को ही प्रमुखता प्रदान की है कौटिल्य के द्वारा अनेक परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इस परीक्षाओं में धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, भयोपधा के माध्यम से अधिकारियों के चरित्र का मूल्याकन किया जाता था कौटिल्य की योग्यता के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी धारणा वर्तमान समय में भी अप्रसांगिक नही हुई है। क्योकि आज प्रशासन का पूर्ण प्रयास यह ही रहता है कि प्रशासन मे योग्य ईमानदार व्यक्ति ही नियुक्त किये जाये जिसके लिये अनेक संस्थाओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है। तथा साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा की जाती है।

योग्यता के साथ ही प्रशिक्षण को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है जिसमे सैद्धान्तिक क्या व्यावहारिक दोनो ही प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था क्योंकि व्यावहारिक प्रशिक्षण ही व्यक्ति को कार्य मे पूर्ण सक्षम बना सकता है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था मे भी हम प्रशिक्षण के महत्व को भुला नही सकते हैं क्योकि प्रशिक्षण के बिना प्रशासन अधूरा है। कौटिल्य ने विभागाध्यक्षों के लिये जिस प्रकार से व्यावहारिक प्रशिक्षण को आवश्यक बताया है वह आज के विभागाध्यक्षों के लिये महत्वपूर्ण है क्योकि वर्तमान में विभागाध्यक्षों को स्वयं के विभाग में भी पूर्ण जानकारी प्राप्त नही होती है।

इसीलिए कौटिल्य के द्वारा जिस प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान को महत्व दिया है वह आज के प्रशासनिक संगठन में अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।

प्रशिक्षण के साथ ही कौटिल्य ने पदोन्नति को भी महत्व दिया है जिससे अधिकारियो का मार्च के प्रति अनुराग बना रहे क्योंकि कौटिल्य स्वंय इस बात को स्वीकार करते थे कि उन्नति के लिए ही व्यक्ति कार्य करने के लिये प्रेरित होता है। वर्तमान से भी हम प्रेरणा स्रोत के रूप में पदोन्नति को महत्व देते हैं तथा वरिश्ठता तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति करते हैं। कोटिल्य के द्वारा भी पदोन्नति के सम्बन्ध में योग्यता के साथ अनुभव को महत्व प्रदान किया गया है। पदोन्नति के विषय में जिस स्वरूप की कल्पना कोटिल्य ने प्रस्तुत की है वह वर्तमान की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण है पदोन्नति के साथ ही कौटिल्य के द्वारा कार्मिकों के लिये कल्याण की व्यवस्था की गयी थी जिससे कार्मिकों का हित हो सके। जैसे कार्मिको के द्वारा कार्य करते समय मृत्यु हो जाने पर कौटिल्य के द्वारा उसके परिवार के आश्रितो को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुये किसी सदस्य को पद प्रदान किया जाता है कौटिल्य की यह व्यवस्था आज भी हमारे प्रशासन में विद्यमान हैं क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा आज भी कर्मिकों के लिये कल्याण की व्यवस्था की जाती है तथा मृत कर्मचारी के परिवार को आधिक सहायता प्रदान की जाती है और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। साथ ही घर के एक सदस्य को नौकरी भी प्रदान की जाती है। कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया विचार आज भी पूर्ण सार्थक सिद्ध हो रहा है। वेतन के विशय मे भी कौटिल्य के समान ही आज. की व्यवस्था भी की गयी है आज भी हम वेतन के साथ ही आवश्यक भत्तो की व्यवस्था करते हैं कौटिल्य ने कार्मिकों के विषय में एक आचार–संहिता तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी व्यवस्था की है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था मे भी प्रशासनिक अधिकारीयो के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही का विभाजन किया गया है। और अपने पद का दुरुपयोग करने की स्थिति में दण्ड की व्यवस्था भी की गयी है।

कौटिल्य ने केनद्रीकरण तथा विकेन्दीकरण का संतुलित प्रयोग किया है। वही व्यवस्था आज भी प्रशासन में विद्यमान है शासन का केन्द्रीकरण होते हुए भी प्रशासत राज्य जिलो तथा ग्रामों में विभक्त है जिससे यह बात पूर्णतया सत्य हो जाती है कि कौटिल्य की राजतन्त्र में भी सत्ता की विवेचना इस प्रकार से की गयी थी कि प्रशासन निरंकुश न हो सके।

कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत विचारों में जहाँ हमे पूर्ण प्रासंगिकता के दर्शन होते हैं उसी प्रकार से वैदेशिक क्षेत्रो में भी हम उनकी नीतियो का अनुसरण कर रहे हैं। राजदूत आज भी वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन मे मुख्य प्रतिनिधि माना जाता है। अपने देश का दूसरे देश में प्रतिनिधित्व का भार राजदूत का होता है। कौटिल्य का भी यह विचार था कि राजदूत सदैव अवध्य होता है और शत्रु के दूत का वध नही किया जाना चाहिये। यह विचार ''आज के समय में भी पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

अतः कौटिल्य के विचार समस्त क्षेत्रो में अत्यन्त अनुकरणीय हैं कौटिल्य की विचारधारा किसी एक काल, व्यवस्था या व्यक्ति से सम्बन्धित न होकर सर्वकालिक तथा सर्वांगीण है भारतीय इतिहास के लिये यह गौरवपूर्ण तथ्य है कि आज से अनेक वर्षों पूर्व एक महान विभूति ने जन्म लिया

जिसके द्वारा प्रदशित पथ का अनुगमन करते हुये भारतीय अपने राष्ट्र का चहुमुखी विकास कर सकता है।

सन्दर्भ

1. शास्त्री, उदयवीर. (1969). कौटिल्य अर्थशास्त्र. मेहरचन्द लक्ष्मनदासः दरियागंज।
2. कोशिक, अशोक. कौटिल्य अर्थशास्त्र. डायमण्ड पाकेट बुक्सः नईदिल्ली।
3. गैराला, वाचस्पति. (1977). कौटिल्य अर्थशास्त्र. चौखम्बा विद्याभवनः वाराणसी।
4. शर्मा, डा० देवकान्ता. कौटिल्य के प्रशासनिक विचार. प्रिन्टवैल पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटरः जयपुर।
5. विद्याभास्कर, रामावदार. (1986). चाणक्य सुत्र संग्रह. आर0बी0एस0 प्रकाशनः हरिद्वार।
6. मिश्र, डा० भुवनेश्वरी दत्त. (1989). कौटिल्य राजनीति. वैशाली प्रकाशनः गोरखपुर।
7. इन्द्र, एम.ए. (1990). कौटिल्य अर्थशास्त्र. राजपाल एण्ड संसः नई दिल्ली।
8. शर्मा, डा० वीरेन्ड. (1975). भारत में लोक प्रशासन. सुशील प्रकाशनः मेरठ।